आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक–एफ 23(80) (1) लेखा/आकाशि/छात्रवृत्ति ऑनलाईन/2020–21/155 दिनांक– 29/06/2021

रजिस्ट्रार
समस्त विश्वविद्यालय
राजस्थान

विषयः– महाविद्यालय/शैक्षणिक संस्थानों को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से नियमानुसार सम्बद्धता प्रदान करने के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न उतर मैट्रिक ऑनलाइन छात्रवृत्ति के लिए महाविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाओं को अपने सम्बद्ध विश्वविद्यालय से नियमानुसार मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त करते हुए ऑनलाइन स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है।

विश्वविद्यालय द्वारा अपने सम्बद्ध महाविद्यालयों को नियमानुसार ऑनलाइन अनुमोदन (अप्रूवड) करने पर ही सम्बन्धित विद्यार्थी छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकता है। केन्द्र एवं राज्य द्वारा संचालित योजनाओं के तहत प्राप्त राशि का समय पर उपयोग तथा छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके सम्बन्धित महाविद्यालयों को वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 की नियमानुसार शीघ्र मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करते हुए अपने स्तर से ऑनलाईन अनुमोदन (अप्रूवड) करावें ताकि सम्बन्धित सभी महाविद्यालयों का नाम पोर्टल पर आ सके जिससे छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकें।

(संदेश नायक, I.A.S.)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ –23(80) (1) लेखा/आकाशि/छात्रवृत्ति ऑनलाईन/2020–21/156-159 दिनांक– 29/06/2021

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को यू.ओ.नोट क्रमांक एफ 9(4)(10) छात्र.पो. (सा.न्या.अधि.वि./2019–20/882 दिनांक 27.05.2021 के क्रम में।
2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जी–3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस होटल के पीछे, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
4. प्रभारी वेबसाइट को अपलोड हेतु।

(एच.आर.पवार)
वित्तीय सलहाकार

D:/ Shortcut For Some Folders/ Online Schlorship/